



# फतेहगढ़ पुलिस



**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

**कोतवाली मोहम्मदाबाद**

**दि0- 13.08.2024**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त कल्लू पुत्र रामस्नेही निवासी न्यायतपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0- 160/1995 वाद स0- 371/2024 धारा- 25 आर्म्स एक्ट कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 13.08.2024 को माननीय न्यायालय एसीजेएम-9 कोर्ट फरूखाबाद द्वारा दोषसिध्द कर जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ - श्री अंकित कुमार



कोर्ट मोहरीर म0का0 वैशाली शर्मा



पैरोकार का0 सुमित कुमार





